

दो बच्चों की नीति: समय की आवश्यकता

प्रीलिमिंस के लिये

नज़िी वधियक या गैर सरकारी वधियक

मेन्स के लिये

दो बच्चों की नीति के पक्ष व वपिकष में तरक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा दो बच्चों की नीति से संबंधित एक **नज़िी वधियक या गैर सरकारी वधियक (Private Member Bill)** सदन में प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख बदि

- इस संवधान संशोधन वधियक में उन लोगों के लिये कराधान, शक्तिषा और रोज़गार के प्रोत्साहन का प्रस्ताव है जो अपने परिवार का आकार दो बच्चों तक सीमति रखते हैं।
- वधियक में संवधान के भाग-IV में एक नए प्रावधान को शामिल करने की मांग की गई है, जो ऐसे लोगों से सभी रियायतें वापस लेने से संबंधित हैं और जो 'छोटे-परिवार' के मानदंड का पालन करने में वफिल रहते हैं।
- वधियक संवधान में अनुच्छेद-47 के बाद अनुच्छेद-47A के सम्मलिन का प्रस्ताव करता है।
- प्रस्तावति अनुच्छेद 47A के अनुसार "राज्य, बढ़ती जनसंख्या को नयितरति करने की दृष्टि से छोटे परिवार को बढ़ावा दें। जो लोग अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमति रखते हैं उन्हें कर, रोज़गार और शक्तिषा आदि में प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाए और जो लोग इस नीति का पालन न करें उनसे सभी तरह की छूट वापस ले ली जाए।
- इससे पूर्व मार्च 2018 में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहति याचिका दायर की गई थी।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारजि कर दिया था कि नीति निर्माण न्यायालय का कार्य नहीं है। यह संसद से संबंधित मामला है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता।

नज़िी वधियक से तात्पर्य

- इसे गैर सरकारी वधियक के नाम से भी जाना जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में मंत्रपरिषद के सदस्य के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यह किसी सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षति करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
- ऐसे प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिये 1 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है।

नीति के पक्ष में तरक

- जनसंख्या बढ़ने से बेरोज़गारी, गरीबी, अशक्तिषा, खराब स्वास्थ्य और प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसलिये दो बच्चों की नीति इस दशिा में एक कारगर उपाय सिद्धि होगा।
- वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुवधिओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी, साथ ही पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
- आय का असमान वतिरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगा।

- जहाँ एक ओर जनसंख्या में नरितर वृद्धि हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि तथा खाद्य फसल के उत्पादन में कमी हो रही है जिससे लोगों के समक्ष खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो रहा है ।

नीतिके वपिक्ष में तरक

- नीतिके करयान्वयन में बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी और गर्भपात जैसे उपाय अपनाए जाने की आशंका है ।
- इस नीतसे वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तथा वृद्ध लोगों को सहारा देने के लयि युवा जनसंख्या में कमी आ जाएगी ।
- इस नीतसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश की अवस्था को खो देंगे ।

जनसंख्या नयितरण के अन्य उपाय

- आयु की एक नश्चित अवधामें मनुष्य की प्रजनन दर अधकि होती है । यदविवाह की आयु में वृद्धकी जाए तो बच्चों की जन्म दर को नयितरति कयिा जा सकता है ।
- शकिषा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधकि बच्चों को जन्म देने के दृष्टकिण को परवितरति करना ।
- भारतीय समाज में कसिी भी दंपत्तिके लयि संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बनिा दंपत्तिको हेय दृष्टिसे देखा जाता है, यदइस सोच में बदलाव कयिा जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगा ।

आगे की राह

- जनसंख्या वृद्धिने कई चुनौतयों को जन्म दयिा है कतिु इसके नयितरण के लयि कानूनी तरीका एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता । भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के वपिरीत भारत एक लोकतांत्रकि देश है जहाँ हर कसिी को अपने व्यक्तगत जीवन के वषिय में नश्चिण लेने का अधकिार है ।
- भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभयान, शकिषा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय अपनाकर जनसंख्या नयितरण के लयि प्रयास करना चाहयि ।
- परविर नयिोजन से जुड़े परविरों को आर्थकि प्रोत्साहन दयिा जाना चाहयि तथा ऐसे परविर जन्होंने परविर नयिोजन को नहीं अपनाया है उन्हें वभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परविर नयिोजन हेतु प्रेरति करना चाहयि ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/two-child-policy>

